**प्रेस नोट - दिनांक 01.06.2026**

**थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।**

## लड़की की हत्या की घटना मे शामिल दो आरोपी गिरफ्तार

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा लड़की की हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।**

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 31.05.2026 को थाना अजगैन क्षेत्रांतर्गत ग्राम नवई मे सुनील पुत्र श्यामलाल धोबी के खेत में 15 वर्षीय लड़की का शव मिलने की सूचना थाना अजगैन पुलिस को मिली। सूचना पर थाना अजगैन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर मृतका के शव को कब्जे मे लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया तथा मृतका की मां से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. विशाल मौर्य पुत्र राकेश मौर्य उम्र करीब 22 वर्ष नि0 नवई थाना अजगैन जनपद उन्नाव 2. एक साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 01.06.2026 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. विशाल मौर्य पुत्र राकेश मौर्य उम्र करीब 22 वर्ष नि0 नवई थाना अजगैन जनपद उन्नाव एवं प्रकाश मे आये 2. शैलेन्द्र उर्फ पग्गल पुत्र बलकराम लोध उम्र करीब 35 वर्ष नि0 कोरारा थाना अजगैन जपनद उन्नाव को अजगैन मोहान रोड के उसरा मोड़ कट से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ मे अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि कल मृतका हमशे मिलने आयी थी जहां हम दोनों नशे मे थे एवं मृतका के साथ संबन्ध बनाने का प्रयास किया तो मृतका द्वारा शोर मचाकर सबको बुला देने की बात कही गई, जिससे डरकर हम दोनो ने मृतका का गला कस कर उसकी हत्या कर दी। दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

## नाम पता अभियुक्तगण-

1. विशाल मौर्य पुत्र राकेश मौर्य उम्र करीब 22 वर्ष नि0 नवई थाना अजगैन जनपद उन्नाव
2. शैलेन्द्र उर्फ पगल पुत्र बालकराम लोध उम्र करीब 35 वर्ष नि0 कोरारा थाना अजगैन जपनद उन्नाव

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

अपराध निरीक्षक मो0 नईम खाँ

अतिरिक्त निरीक्षक जय प्रकाश यादव

का0 पुष्पेन्द्र सिंह

का0 योगेश सिंह

का0 रोहित कुमार सिंह

का0 रंजीत सिंह

**प्रेस नोट - दिनांक 01.06.2026**

**थाना बांगरमऊ , जनपद उन्नाव ।**

# साइबर हेल्प डेस्क की तत्परता से ठगी गई 1,87,000/- रूपये की धनराशि वापस

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पीड़ित के खाते से फ्राड कर निकाली गयी 2,37,954/- रूपये में से 1,87,000/- रूपये की धनराशि वापस कराई गई ।**

**संक्षिप्त विवरण-** थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव में श्री अमन कुमार पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम मदारनगर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव के खाते से 2,37,954/- रूपये का फ्राड होने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2026 को थाना बांगरमऊ पर प्रार्थना पत्र दिया था । जिसके सम्बन्ध में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/2026 धारा 66D IT ACT पंजीकृत किया गया । दिनांक 01.06.2026 को साइबर हेल्प डेस्क थाना बांगरमऊ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंको से पत्राचार एवं समन्वय स्थापित करते हुये आवेदक के खाते में 1,87,000/- रुपये सकुशल वापस कराये गये ।

**कार्यवाही करने वाली टीम-**

1 प्र0नि0 श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय
2.अपराध निरी0 श्री राम नरायण यादव
3.क0आ0 मनोज कुमार
4.म0आ0 सोनिया